समक्ष माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प

निग/0012/19/टीकमगढ़/भूरा **जबलपुर, (म0प्र0)**

राजस्व पुनरीक्षण कमांक- /2018

1. लाखन सिंह आत्मज प्रताप सिंह ठाकुर
2. केहर सिंह आत्मज प्रताप सिंह ठाकुर(मृत)

वारसान

(i) विजय सिंह आत्मज स्व0 केहर सिंह

3. जोधा सिंह आत्मज प्रताप सिंह ठाकुर (मृत)

वारसान

(i) मुस0 रामकुवंर बेवा जोधा सिंह ठाकुर

(ii) भूपेन्द्र पुत्र जोधा सिंह ठाकुर

(iii) संगीता पुत्री जोधा सिंह ठाकुर

(iv) कु0 रेखा पुत्री जोधा सिंह ठाकुर नाबालिक

दोनों की बलि माँ जोधा मुस0 रामकुवंर बेवा जोधा सिंह ठाकुर, सभी निवासी- ग्राम पडुआ, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ ....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

हनुमत सिंह, तनय महून सिंह ठाकुर, निवासी- ग्राम पडुआ, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ ....उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय कमिश्नर सागर, संभाग सागर, द्वारा रा. अपील.कमांक-223/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25/09/2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता एवं उत्तरवादी एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में चाचा-भतीजे है। महूनसिंह तनय हिमाचल सिंह ठाकुर, पुनरीक्षणकर्ता के सगे दादा थे। महून सिंह के दो पुत्र प्रताप सिंह व हनुमत सिंह थे। प्रताप सिंह की मृत्यु हो चुकी और पुनरीक्षणकर्ता

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक . . . .

. . . . विरुद्ध . . . .

तहसील . . . . जिला . . . .

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . . जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . .

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . . तहसील का प्रकरण क्रमांक. . . . .

वाद का विषय . . . .

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है . . . .

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला . . . . के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. . . . . के विरुद्ध श्री दिनेश सिंह . . . . के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/. . . . . .रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	Not-Press ~~Revision~~ is not maintainable 28/12/18
28/12/18 जबलपुर	आवेदक अभिभाषक दिनेश सिंह उपस्थित। उन्होंने अनुरोध किया है कि वह प्रकरण को नोट प्रेस कर समाप्त करना चाहते हैं अतः अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[पीछे देखिये